



पत्रांक-न0नि0 50-32/2022.....  
प्रेषक

दिनेश कुमार,  
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)  
पटना, कैमूर, नालन्दा, सारण, वैशाली,  
पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी,  
दरभंगा, मधेपुरा, गया एवं अररिया।

पटना, दिनांक:- 3.1.24

विषय:- नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 में आदर्श मतदान केन्द्र एवं पिंक मतदान केन्द्र बनाने के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक-4538 दिनांक-29.09.2022 एवं पत्रांक-2004 दिनांक-31.05.2023  
महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रणाली को और अधिक महत्व देने के उद्देश्य से और मतदाताओं के लिए मतदान के संपूर्ण अनुभव को आनंददायक एवं पुष्टिकारक बनाने के लिए आदर्श मतदान केन्द्र एवं पिंक मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2022-2023 में लिया गया था।

आयोग के प्रासंगिक पत्र 4538 दिनांक-29.09.2022 एवं 2004 दिनांक-31.05.2023 द्वारा आदर्श मतदान केन्द्र एवं पिंक मतदान केन्द्र बनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश दिये गये हैं (पत्र की प्रति संलग्न)।

1. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 में नगर निगम-सारण में मुख्य पार्षद का निर्वाचन कराया जाना है, जिसमें दो आदर्श मतदान केन्द्र एवं दो पिंक मतदान केन्द्र बनाये जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है।

2. पटना, कैमूर, नालन्दा, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, गया एवं अररिया जिला में सिर्फ एक-दो मतदान केन्द्रों पर ही निर्वाचन कराया जाना है। इन जिलों को निदेश दिया जाता है कि जिस मतदान केन्द्र को आदर्श मतदान केन्द्र घोषित जिला द्वारा किया जायेगा, उन्ही मतदान केन्द्रों को पिंक मतदान केन्द्र भी बना दिया जाए।

मतदान केन्द्रों पर महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किये जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति डेटाबेस में उपलब्ध कर्मियों में से Manually की जाएगी एवं महिला मतदान कर्मियों को संबंधित नगरपालिका के उस वार्ड से बाहर नियुक्त किया जाएगा, जिस वार्ड की मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है। ऐसे सभी मतदान केन्द्रों के संबंध में सूचना यथाशीघ्र भेजी जाय, साथ ही मतदान के दिन इन मतदान केन्द्रों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराकर आयोग को भी भेजी जाए।

अतः अनुरोध है कि उक्त निदेश के आलोक में आदर्श/पिंक मतदान केन्द्रों की स्थापना किया जाए।

अनु0-यथोक्त।


विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या- न0नि0 50-32/2022.....<sup>18</sup>

प्रतिलिपि- राज्य निर्वाचन आयोग के मिडिया प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि आदर्श मतदान केन्द्र एवं पिक मतदान केन्द्र का सैम्पल तैयार करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

पटना, दिनांक 3.1.24


  
03/01/24

संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 3.1.24

ज्ञाप संख्या- न.नि.-50-32/2022.....<sup>18</sup>

प्रतिलिपि- आई.टी.सेल को आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


  
03/01/24

संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- न0नि0 50-32/2022.....<sup>18</sup>

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त (मुंगेर एवं भागलपुर को छोड़कर) बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 3.1.24

  
03/01/24

संयुक्त सचिव।